

नमूनक 06

प्रेषक

प्रियल शर्मा  
सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०  
औरैया।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश  
औरैया।

विषय: अर्द्धशासकीय पत्र सं० 28/2022 दिनांकित 20.10.2022, अर्द्धशासकीय पत्र सं० 32/2022 दिनांकित  
11.11.2022 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित अर्द्धशासकीय पत्रों दिनांकित 20.10.2022 एवं 11.11.2022 के सन्दर्भ में सादर  
अवगत कराना है कि यह तथ्य स्वीकार है कि मैंने आपसे दिनांक 27.08.2022 को जनपद इलाहाबाद जाने के लिए मुख्यालय  
अवकाश लिया था, परन्तु मैं दिनांक 27.08.2022 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद परिसर/ प्रांगण में तत्कालीन  
प्रशासनिक न्यायाधीश, सत्र खण्ड औरैया माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की  
कार्यावधि में न तो पदीय हैसियत में किसी न्यायिक कार्य के सम्बन्ध में एवं न ही किसी निजी समस्या के सम्बन्ध में मिलने  
गयी थी।

इस प्रकार मेरे द्वारा माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश से मिलने के सम्बन्ध में जारी प्रपत्रों द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का  
उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिये ऐसी किसी तथाकथित मुलाकात आपके संज्ञान में ले आना मेरे द्वारा संभव नहीं था।

महोदय मैं दिनांक 27.08.2022 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश, सत्र  
खण्ड औरैया माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी से किसी प्रोटोकॉल के उल्लंघन में मिलने नहीं गयी थी इसलिये आपके  
अर्द्धशासकीय पत्र सं० 28/2022 का स्पष्टीकरण देने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अधीन मुझे पूर्ण तथ्यों की जानकारी  
प्राप्त होना आवश्यक था कि मुझसे किस मुलाकात के सम्बन्ध में और क्यों स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। इसलिये मेरे द्वारा  
आपसे पत्र दिनांकित 04.11.2022 द्वारा पूर्ण जानकारी देने का अनुरोध किया गया था।

इस प्रकार तथाकथित संदर्भित माननीय न्यायमूर्ति से मुलाकात के संबंध में मेरे द्वारा आपसे पूर्ण जानकारी देने का  
अनुरोध करना कदाचरण या अवज्ञा के श्रेणी में नहीं आता है।

स्पष्टीकरण सेवा में सादर प्रेषित।

दिनांक: 15/11/22

भवदीया

*Riya*  
प्रियल शर्मा 11/22

सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०  
औरैया।

*Self-Attested*  
*Riya*  
30/08/23

